

तारांकित प्रश्न क्रमांक 6255 द्वारा सुश्री हिना लिखीराम कावरे, माननीय सदस्य

परिशिष्ट-

प्राथमिकता परिवार-

- (1) समस्त बीपीएल परिवार।
- (2) समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (4) साइकिल रिकशा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (5) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।
- (6) अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।
- (7) घरेलू कामकाजी महिलाएँ।
- (8) फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
- (9) वनाधिकार पट्टेधारी।
- (10) रेलवे में पंजीकृत कुली।
- (11) मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।
- (12) बन्द पड़ी मिल्ओं में पूर्व नियोजित श्रमिक।
- (13) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।
- (14) समस्त भूमिहीन कोटवार।
- (15) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।
- (16) केशशिल्पी।
- (17) पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।
- (18) एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।
- (19) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
- (20) मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, बशर्ते कि वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो।
- (21) प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।
- (22) प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2014-15 में प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- (23) प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।
- (24) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ श्रेणी के परिवार।


 अनुभाग अधिकारी
 आय, कर्मियों एवं
 उपभोक्ता संबंधित विभाग,
 नंत्रालय